


1/4107/2023

पंजीकृत पायती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/जूना/चू.प- 318

Mine code 38GUJ08363/60 ID

दिनांक:

सेवा में : श्री लक्ष्मण जीवा मोरी

सागर ट्रांसपोर्ट, निकट पुलिस स्टेशन, सूत्रापाडा

जिला - गिर सोमनाथ (गुजरात) 362 275

e mail -

laxmanmori150@gmail.com

विषय: गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले की वेरावल तालुका के ग्राम लुम्बा में स्थित आपकी लुम्बा चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल - 4.9271 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिव्यू खनन योजना निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.11.2022 को आपके प्रतिनिधि श्री दिनेश की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया -


नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-150/2018 MDRD(N) GNR दिनांक 29.06.2018 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3.5 के अनुसार वर्ष 2021-22 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु 100 पौधें लगा कर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि 25 पौधें ही लगाए गए हैं।
26(2)	नियमानुसार अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर के अनुसार खान के संरक्षण एवं पुनरुद्धार (Protective and Rehabilitation) हेतु प्रस्तावित एवं वास्तविक रूप

1/4107/2023

से किए गये कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 1 जुलाई तक क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर को प्रस्तुत करनी चाहिए। निरीक्षण के समय पाया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए यह रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।
०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय



(मनीष गुप्ता)

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए लेख है कि निरीक्षण के समय आंशिक सीमा स्तंभ ही पाये गए।
३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो